रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265365
CG-DL-E-12082025-265365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3571] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12 2025/श्रावण 21, 1947
No. 3571] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3663(अ).—व्यक्तियों को सहायिकियों, फायदों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पहचान करने में आधार संख्या का उपयोग पहचान को साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रिया का सरलीकरण करता है और पारदर्शिता तथा दक्षता का संवर्धन करता है ;

और, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परामर्श से पश्चात् अपने पत्र सं. ईएफ सं. 13(2)/2020-ईजी-II(वाल.-V), तारीख 3 अप्रैल, 2025 द्वारा सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 3 के उपनियम (1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अधीन विहित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात किया था कि उक्त सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय को अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है तथा आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या का प्रयोग करने के लिए तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन उसे अधिसूचित करने की अनुमति दी जा सकती है ;

और, आधार अधिप्रमाणन उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन यथाविहित सुशासन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है) सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग हेतु किया जाएगा तथा उक्त प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणन का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा तथा उक्त सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय

आधार अधिप्रमाणन को केवल स्मार्ट कार्ड और आगंतुक पास जारी करने के लिए व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए करेगा ;

अत:, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

(क) उक्त सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय, उक्त अधिनियम में यथा उपबंधित इसमें अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा ;

(ख) उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है तथा सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और साध्य साधनों, अर्थात् 'पेन कार्ड' या 'मतदाता पहचान पत्र' या 'पासपोर्ट' या 'विभागीय पहचान पत्र' के बारे में सूचित करेगा तथा आधार संख्या धारक को आधार अधिप्रमाणन से इनकार करने, या असमर्थ होने पर किसी सेवा से मना नहीं करेगा ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 32015/63/2024-एसएसओ(पीसी)]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशा.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

S.O. 3663(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India, had allowed *vide* its letter No. e.F. No. 13(2)/2020-EG-II(Vol-V) dated the 3rd April 2025 to the Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs, Government of India for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms to ensure good governance (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs shall perform the Aadhaar authentication only for the purpose of identification of persons for issue of Smart Cards and Visitors Passes;

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the Aadhar Authentication for Good Governance (Social welfare, innovation, knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) the said Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs hereby notifies the following, namely: —

(a) the Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs as provided in the said Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein;

(b) as per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis and the Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification namely 'PAN Card' or 'Voter ID Card' or 'Passport' or 'Departmental Identity Card' and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 32015/63/2024-SSO(PC)]

RAJEEV KUMAR, Jt. Secy. (Admin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.12 15:17:23 +05'30'